

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-09/2025 श्र0सं0- 1599

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

मनीष कुमार,
उप श्रमायुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
खगड़िया/नालन्दा/समस्तीपुर/सिवान एवं बेगूसराय।

पटना, दिनांक- 18/3/26

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष-0103-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय, विपत्र विपत्र कोड-26-2230017890103 (अनुसूचित जाति) के अन्तर्गत CFMS 2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध CFMS2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन का विवरण निम्नवत है:-

2. अनुसूचित जाति (विपत्र कोड-26-2230017890103) के मृत प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष 31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए रु० 1,00,000/-मात्र एवं रु० 2,00,000/-मात्र प्रति मृत प्रवासी श्रमिक की दर से आवंटित अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	खगड़िया	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक-219, दिनांक-27.02.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० मनीष पासवान, पिता-रंजन पासवान, आश्रित-किरण देवी (पत्नी), ग्राम-शुम्भा, पोस्ट-शुम्भा, था०+प्र०-अलौली, जिला-खगड़िया
2	नालन्दा	01	2,00,000 / -	अपर समाहर्ता, नालन्दा के ज्ञापांक-237, दिनांक-03.02.2026 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० अमरजीत रविदास, पिता-टुनटुन रविदास, आश्रित-ऋषि देवी (पत्नी), ग्राम-शोरपुर, पोस्ट-दरुआरा, पंचायत-रसलपुर, प्रखंड-नुरसराय, जिला-नालन्दा।
		01	2,00,000 / -	अपर समाहर्ता, नालन्दा के ज्ञापांक-330, दिनांक-18.02.2026 के आलोक में। (2) मृतक-स्व० कारु मोंझी, पिता-स्व० रामविलास मोंझी, आश्रित-उषा देवी (पत्नी), ग्राम-महुआर मुराहरी, पोस्ट-महुआर, पंचायत-नई पोखर, प्रखंड-राजगीर, जिला-नालन्दा।

ज्ञापंक: 6/एफ1-09/2025 श्र0सं0- 1579 पटना, दिनांक- 18/3/26

प्रतिलिपि- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त-सह-वरीय प्रभारी प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

सभी संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

Signed by Manish Kumar

Date: 18-03-2026 17:31:36

(मनीष कुमार)
उप श्रमायुक्त।